

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.मं.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- 1 परियोजना का नाम :- कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर-मानपुर,कांकेर-डोमपदर,पुरियारा-विश्रामपुरी,चारामा-नरहरपुर,आमाबेड 1-कोरर,कोरर-मालगांव एवं कांकेर-पुरियारा मुख्य मांगों समानांतर कुल 183.560 कि.मी. सडक के किनारे राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 0.502 हे.,संरक्षित वनभूमि रकबा 0.242 हे.,नारंगी वनभूमि 1.016 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.359 हेक्टेयर कुल 2.119 हेक्टेयर।
- 2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :- महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स) जि.डि.फा. प्रायवेट लिमिटेड,चतुर्थ तल,अम्बुजा मॉल,विधानसभा रोड (सड.डू.) रायपुर (छ.ग.)
- 3 गैर वानिकी कार्य हेतु जिस हेतु वन भूमि की मांग :- आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु।
- 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति :- वनभूमि/राजस्व वनभूमि में कुल रकबा 2.119 हेक्टेयर।
- 5 वन भूमि का विस्तृत विवरण :-
 (क) राजस्व वनभूमि :- 0.359 हेक्टेयर
 (ख) नारंगी वनभूमि :- 1.016 हेक्टेयर
 (ग) संरक्षित वनभूमि :- 0.242 हेक्टेयर
 (घ) आरक्षित वनभूमि :- 0.502 हेक्टेयर
- 6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति, प्रकार :- - धनत्व 0.4 से कम।
- 7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :- परियोजना के तहत सडक के समान्तर आप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाई जावेगी। जिसमें किसी भी प्रकार की वृक्ष प्रभावित नहीं होगी।
- 8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :- पुनरुत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।
- 9 आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।) :- आवश्यक नहीं है।
- 10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान,अभ्यारण,क्योस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र,धार्मिक स्थल)की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं?यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें। :- नहीं है।
- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।) :- आवश्यक नहीं है।
- 12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवें। :- आवेदित क्षेत्र में आवेदक विभाग द्वारा अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अलोक बाजिमोड़ी
 कांकेर वनमंडल कांकेर
 वनमंडलाधिकारी
 कांकेर वनमंडल कांकेर

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर — मानपुर, कांकेर — डोमपदर, पुरियारा — विश्रामपुरी, चारामा — नरहरपुर, आमाबेडा — कोरर, कोरर — मालगांव एवं कांकेर — पुरियारा मुख्य मार्गों समानांतर कुल 183.560 कि.मी. सडक के किनारे राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु आवेदक महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स) जियो डिजिटल फाइबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) द्वारा मांग की गई भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल — परिक्षेत्र कांकेर/नरहरपुर/
सरोना/कोरर/चारामा।

दिनांक — 21/11/2023


 वन मंडलाधिकारी
 कांकेर वनमंडल कांकेर
 (भा.व.से.)
 वनमंडलाधिकारी
 कांकेर वनमंडल कांकेर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर (छ.ग.)

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कांकेर वनमंडल के परिक्षेत्र कांकेर, नरहरपुर, सरोना, चारामा, कोरर अंतर्गत वनभूमि/राजस्व वनभूमि डोमपदर—मानपुर, कांकेर—डोमपदर, पुरियारा—विश्रामपुरी, चारामा—नरहरपुर, आमाबेडा—कोरर, कोरर—मालगांव एवं कांकेर—पुरियारा मुख्य मार्गों समानांतर कुल 183.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 21/4/23 को मेरे द्वारा किया गया।

उक्त प्रस्तावित स्थल पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ना, हि कोई देवस्थल मूर्ति स्थापित नहीं है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स) जियो डिजिटल फाइबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) अंतर्गत फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

आलोक बाजपेई (भा.व.से.)

वन मंडल अधिकारी,
कांकेर वन मंडल, कांकेर